नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–28
न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
जिला गुना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी–रेणु खेस)

प्रकरण कमांक–SCNIA/48/2022

मध्यांचल ग्रामीण बैंक :: विरूद्ध :: अरविंद सिंह

14.09.2024

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में मेरे समक्ष पेश।

परिवादी द्वारा श्री राकेश कुमार अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री घनश्याम साहू अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्ष ने व्यक्त किया गया कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है तथा उनके द्वारा लोक अदालत डॉकेट फॉर्म भरकर राजीनामा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा परिवादी बैंक द्वारा व्यक्त किया गया कि उन्हें चैक में वर्णित राशि प्राप्त हो गई है एवं अब कोई राशि बकाया नहीं है। अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिवादी मध्यांचल बैंक ने अभियुक्त से स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी भय दवाब के राजीनामा किया जाना स्वीकार करने से उक्त अपराध शमनीय होने से परिवादी को राजीनामा किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

परिवादी की पहचान श्री राकेश कुमार अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्त की पहचान श्री घनश्याम साहू अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायदृष्टांत दामोदर एस प्रभू वि0 सैयद बाबालाल एच0 ए0 आई0 आर0 2010 (एस0सी0) 1097** में न्यायालयों के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन राजीनामा करने हेतु चेक में वर्णित राशि के दस प्रतिशत राशि व्यय के रूप में जमा करने पर ही राजीनामा स्वीकार किया जा सकता है। इस **न्याय–दृष्टांत के निर्णय के पैरा 17 एवं माननीय न्याय–दृष्टांत म0प्र0 स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वि0 प्रतीक जैन एवं अन्य सिविल अपील नंबर 8614/14** में प्रतिपादित निर्देशों के पालन में व्यय की सीमा को प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालयों को परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है और उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों में इस मामले में भी नियत की गई व्यय की अधिकतम राशि दस प्रतिशत के स्थान पर न्यायालय

व्यय की राशि को कम कर सकता है। परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा होना दर्शित है। उक्त मामले का निराकरण आज दिनांक को नेशनाल लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने हेतु उभयपक्ष तत्पर है।

अभियुक्त के द्वारा आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत के पालन में शमन शुल्क की राशि माफ की जाती है।

प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को अभियुक्त से कोई भी राशि लेना शेष नहीं है। इसलिए परिवादी, अभियुक्त से राजीनामा कर उक्त प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त कराना चाहता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम का अभियोग है, जो स्वयं परिवादी द्वारा शमनीय है।

उभयपक्षों के मध्य मधुर होते संबंधों एवं स्वेच्छया प्रस्तुत किए गए समझौते व आवेदन के आलोक में आपराधिक न्याय प्रशासन के समाज में शांति स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आरोप का उपशमन करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

परिवादी के द्वारा धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम के अपराध का शमन किया गया है, जिसके फलस्वरूप **अभियुक्त अरविंद सिंह रघुवंशी** को उक्त अपराध से **उन्मोचित** किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत में होने से परिवादी के द्वारा अदा किया गया प्रदत्त न्यायालय शुल्क 26,250/–रूपये (छब्बीस हजार दो सौ पचास रूपये) विधि अनुसार वापिस किए जाने हेतु प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

(रेणु खेस)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 28
आरोन जिला गुना म0प्र0

सदस्यः– श्री बृजेश अहिरवार अधिवक्ता .....

RENU KHES

Digitally signed by RENU KHES
Date: 2024.09.14 16:25:29 +0530